


PRASAR BHARATI  
INDIA'S PUBLIC SERVICE BROADCASTER  
REGIONAL NEWS UNIT  
DOORDARSHAN KENDRA : RAIPUR

F.No. RNU/DDK/RNU-(99)/2024/

Empanelment of Stringers in RNU Raipur (Chhattisgarh)

- 1) Regional News Unit, Doordarshan Kendra Raipur (Chhattisgarh) invites applications for Empanelment as Stringers in all the 33 districts of Chhattisgarh viz. Balod, Baloda Bazar, Balrampur, Bastar, Bemetara, Bijapur, Bilaspur, Dantewada, Dhamtari, Durg, Gaiyaband, Gaurella-Pendra-Marwahi, Janjgir Champa, Jashpur, Kabirdham, Kanker, Kondagaon, Khairagarh-Chuikhadan-Gandai, Korba, Koriya, Mahasamund, Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur, Mohla-Manpur-Ambagarh Chowki, Mungeli, Narayanpur, Raigarh, Raipur, Rajnandgaon, Sarangarh-Bilaigarh, Sakti, Sukma, Surajpur and Sarguja.
- 2) Applicants are requested to carefully read the instructions and guidelines viz. Order No. 3/42003- P. III dated 2/7/2010 with subject-“ Selection, empanelment. Utilization and Revision of panel of Stringers-Revised Guidelines” (attached herewith) before applying in the requisite format.
- 3) According to the revised rates of payment to stringers ,Clause 15 at Page no. 5 of the Stringers Guidelines may be read as follows- Assigned local coverage will be paid at the rate of Rs 1500, 2<sup>nd</sup> coverage will be paid at the rate of Rs.1000/- <Outstation coverage will be paid at the rate of Rs. 1800/-.
- 4) It is required that the camera equipment possessed by the Stringers should be of current technological standards. They must also possess adequate accessories and interfacing components to connect to DSNG/ Live units etc.
- 5) All existing Stringers of Chhattisgarh are advised to apply afresh and they will have to undergo this process of fresh empanelment of stringers. Those stringers/persons who had applied earlier need not apply.
- 6) Applicants should mention names of District where they would wish to be empanelled.
- 7) **Non-refundable processing fee of Rs. 1180/- to be paid online to DDO, DDK Raipur bank account no. 10822706620 Ifsc code SBIN0000461. Mention name and mobile no. on receipt.**
- 8) Applications duly supported with receipt of Rs. 1180/- should be submitted in sealed cover with superscription” Empanelment of Stringers for RNU,DDK Raipur for < District Name > **on or before 15<sup>th</sup> Feb 2025.**
- 9) The applications to be sent to “**The Assistant Director (News), Regional News Unit, Doordarshan Kendra, Shankar Nagar, Raipur- 492007 (Chhattisgarh).**”

  
Dr. Manoj Sonone  
Assistant Director (News)

प्रसार भारती  
भारत का लोक सेवा प्रसारक  
प्रादेशिक समाचार एकांश  
दूरदर्शन केंद्र : रायपुर

क्र. आरएनयू/डीडीके/99/2024/

आर.एन.यू रायपुर (छत्तीसगढ़) में स्ट्रिंगर्स के लिए पैनल में नामांकन


- 1) क्षेत्रीय समाचार इकाई, दूरदर्शन केंद्र रायपुर (छत्तीसगढ़) छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों जैसे बलोद, बलौदा बाजार, बलरामपुर, बस्तर, बेमेतरा, बीजापुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, गौरेला-पेंद्रा-मारवाही, जांजगीर चांपा, जशपुर, कबीरधाम, कांकेर, कोण्डागांव, खैरागढ़-छुइखदान-गंडई, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, मानेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भारतपुर, मोहला-मानपुर-आंबागढ़ चौकी, मुंगेली, नारायणपुर, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ति, सुकमा, सूरजपुर और सरगुजा में स्ट्रिंगर्स के रूप में पैनल में नामांकन के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।
- 2) आवेदकों से अनुरोध है कि वे आवेदन करने से पहले आदेश संख्या 3/42003-P. III दिनांक 2/7/2010 "स्ट्रिंगर्स का चयन, पैनल में नामांकन, उपयोग और संशोधन-संशोधित दिशानिर्देश" (संलग्न) को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- 3) स्ट्रिंगर्स को भुगतान के संशोधित दरों के अनुसार, स्ट्रिंगर्स दिशानिर्देशों के पृष्ठ संख्या 5 पर क्लॉज 15 को इस प्रकार पढ़ा जा सकता है- निर्धारित स्थानीय कवरेज का भुगतान ₹1500/- के दर पर किया जाएगा, दूसरे कवरेज का भुगतान ₹1000/- के दर पर किया जाएगा। बाहर के क्षेत्र की कवरेज का भुगतान ₹1800/- के दर पर किया जाएगा।
- 4) आवश्यक है कि स्ट्रिंगर्स द्वारा रखे गए कैमरा उपकरण वर्तमान तकनीकी मानकों के हों। उन्हें डीएसएनजी और बैकपैक लाईव यू आदि से जुड़ने के लिए पर्याप्त सहायक उपकरण और इंटरफेसिंग घटक भी रखने चाहिए।
- 5) छत्तीसगढ़ के सभी मौजूदा स्ट्रिंगर्स को नए आवेदन के लिए सलाह दी जाती है और उन्हें स्ट्रिंगर्स के इस नए पैनल में नामांकन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। जो स्ट्रिंगर्स/व्यक्तियों ने पहले आवेदन कर चुके हैं, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

6) आवेदकों को उस जिले के नाम का उल्लेख करना होगा जहां से वे पैनल में नामांकित होना चाहते हैं।

7) 1180/- रुपए की गैर-वापसीयोग्य प्रोसेसिंग फीस डीडीओ, डीडीके रायपुर बैंक खाता संख्या 10822706620 आईएफएससी कोड SBIN0000461 में ऑनलाइन भुगतान करें। रसीद पर नाम और मोबाइल नंबर का उल्लेख करें।

8) आवेदन जो कि ₹1180/- की गैर-रिफंडेबल प्रोसेसिंग शुल्क की रसीद के साथ समर्थित हो जो कि "DDO DDK RAIPUR" के पक्ष में होना चाहिए, सीलबंद कवर में "आरएनयू डीडीके रायपुर के लिए स्ट्रिंगर्स का पैनल में नामांकन "जिले का नाम" नामक शीर्षक के साथ 15 फरवरी 2025 तक जमा किया जाना चाहिए।

9) आवेदन को "सहायक निदेशक (समाचार), प्रादेशिक समाचार एकांश, दूरदर्शन केंद्र, शंकर नगर, रायपुर- 492007 (छत्तीसगढ़)" पर भेजा जाना है।

  
(डा. मनोज सोनोने)  
सहायक निदेशक (समाचार)